

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग, जोधपुर (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प-9 (2) शिक्षा-5/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 15.04.2015 की पालना में व निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-2/ 21313/2015-16 दिनांक 14.07.2015 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त एवं निर्देशों की पालना में निम्नांकित सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की स्थिति अधोलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :-

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र - क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. सत्र 2015-16 में कक्षा 09 एवं सत्र 2016-17 में कक्षा 10 प्रारम्भ करनी होंगी।
4. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
7. कक्षा 01 से 08 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

क्र.स.	विद्यालय का नाम (उ.प्रा.वि. से मा.वि.)	माध्यम
01	पदमनाथ मॉन्टेसरी उ.प्रा.वि. ईस्ट पटेल नगर, रातानाडा, जोधपुर	हिन्दी
02	तिरंगा पब्लिक उ.प्रा.वि. बीनावास, जोधपुर	हिन्दी
03	यूरो स्कूल रातानाडा, जोधपुर	अंग्रेजी
04	बाल मन्दिर पब्लिक स्कूल, शारत्रीनगर, जोधपुर	अंग्रेजी
05	पलाश इन्टरनेशनल स्कूल पीपाडशहर, जोधपुर	अंग्रेजी
06	आदर्श पब्लिक स्कूल, बी.जे.एस. जोधपुर	अंग्रेजी


जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक - जिशिअ-माध्य/प्रथम/जोध/सामान्य-अ/2015-16/435-38 दिनांक 20/07/2015
प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर
3. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर मण्डल जोधपुर
4. संबंधित संस्था सचिव/प्रधानाध्यापक
5. प्रभारी बोर्ड परीक्षा शाखा/सांख्यिकी शाखा, राजस्थान सरकार, जयपुर


जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर